Subject :- Sociology Date :- 17/05/2020
Class :- D-II (Subsidiary)
Topic :- बालश्रम
By :- Dr. Shyamanand Choudhary
Guest Teacher Marwari College, Darbhanga
Online Study Material No :- (80)

बालश्रम

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का श्रमिक बालश्रमिक है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) के अनुसार 15 वर्ष या उससे कम आयु का श्रमिक बाल श्रमिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1966 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय इकरारनामा सम्मेलन में आह्वान किया गया कि "प्रत्येक देश एक ऐसी आयु सीमा निर्धारित करे, जिससे कम आयु के श्रमिकों की नियुक्ति प्रतिबन्धित व दण्डनीय हो।" अमेरिकन कानून मुताबिक 12 वर्ष या कम आयु तथा इंग्लैण्ड व अन्य यूरोपीय देशों में 13 वर्ष या कम आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिकों की श्रेणी में रखा है। भारतीय संविधान इस मुद्दे पर प्रारंभ से ही स्पष्ट है। वहाँ 9-14 वर्ष के बीच के बालक/बालिकाओं वैतनिक श्रम रखते हैं अथवा श्रम द्वारा पारिवारिक कर्ज चुकाते हैं, बाल श्रमिक हैं। बाल श्रम का उद्भव तब हुआ जब पूँजीवादी वर्ग द्वारा मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से मजदूरों के बच्चों का सामाजिक व अमानवीय शोषण किया गया। जहाँ अमेरिका में पूँजीवादी व्यवस्था की मजबूती हेतु दास प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ, पूँजीवाद के जन्मदाता देश इंग्लैण्ड से लेकर प्रायः सभी पूँजीवादी देशों में बाल श्रमिकों के प्रयोग का आँकड़ा निरन्तर बढ़ता गया। इसी स्वार्थवश सामन्ती काल में बालश्रम को सामाजिक बुराई के रूप में नहीं देखा गया।

1853 में इंग्लैण्ड में 'चार्टिस्ट आन्दोलन' ने सर्वप्रथम बालश्रम की अमानवीय प्रक्रिया की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। उसी समय विक्टर ह्यूगो, आस्कर वाइल्ड आदि साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से इस विषय को गंभीरता प्रदान की। मानव श्रम का सही मूल्य न देकर अधिक काम लेने की पूँजीवादी प्रवृत्ति की देन है— बाल श्रमिकों का इस्तेमाल। इस प्रवृत्ति को समाजशास्त्रियों ने चार सिद्धान्तों में बाँटा है:-

1. नवपुरातनवादी सिद्धान्त :- इस सिद्धान्त के अन्तर्गत बच्चों को उपभोग व निवेश की सामग्री मानकर उनके श्रम का उपयोग आय बढ़ाने हेतु किया जाता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने का खर्च बचाकर श्रम कराने पर जोर दिया जाता है। अतः ज्यादा बच्चों व बाल श्रम का अभिन्न सम्बन्ध है। इस सिद्धान्त को मानने वाले टी० अख्तर, ह्यूज एच० जी० लिविस, एम० टी० फेन, डी० सी० काल्डवेल है।
2. समाजीकरण का सिद्धान्त :- इसके तहत बाल श्रम का इस्तेमाल पारिवारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। कृषि, घरेलू उद्योग इसके अन्तर्गत

Scanned with CamScanner

आते हैं। जी. रोजर्स, स्टेन्डिंग जी. मेयर आदि इसके नियामक हैं।

3. श्रम बाजार के विखण्डन का सिद्धान्त :- अविकसित देशों में पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था ने श्रम बाजार को दो हिस्सों में बाँटा है। बड़ा किसान व छोटा किसान या दस्तकार। बाजार की यह टूटन मालिक-श्रमिक सम्बन्धों का आधार है। इसके मानने वाले सी. केर, डी. एम. गोर्डन, एडवर्ड्स आदि हैं।

4. मार्क्सवादी सिद्धान्त :- मार्क्स ने कहा था कि बाल श्रम पूँजीवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग है। नयी तकनीक व अकुशल मजदूरों की माँग करती है और बेरोजगारी के कारण बच्चे भी औद्योगिक श्रमिकों के संचित दल का हिस्सा बन जाते हैं।

सर्वेक्षण :- भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा 1996 में किए गये एक अध्ययन के अनुसार देश में 4.4 करोड़ बाल श्रमिक हैं। राष्ट्रीय न्यायिक सर्वेक्षण ने भारत में वर्तमान में करीब 1.4 करोड़ बाल श्रमिक होने का अनुमान लगाया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि भारत में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जिसमें 12 करोड़ बच्चे पूरा वक्त काम करते हैं। विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट 1996 के अनुसार भारत में 10-14 करोड़ के बीच बाल श्रमिक हैं जबकि आई. एल. ओ. की धारणा है कि पूरे विश्व के एक चौथाई बाल श्रमिक भारत में श्रमशील हैं अर्थात उपर्युक्त आँकड़ों में बड़ा फर्क है। भारत सरकार के एजेन्सियों ने घरेलू कार्य करने वाले बच्चों को अपने आँकड़ों में स्थान नहीं दिया है, जबकि विश्व बैंक, आइ. एल. ओ. जैसी संस्थाओं ने घरेलू, पारंपरिक, सामाजिक, यहाँ तक की स्वयं के घर में स्वयं का कार्य करने वाले बच्चों को भी बाल श्रमिक माना है। ऐसे में शक होने लगता है कि कहीं ये आँकड़े अनुमान तो नहीं है?

बाल श्रमिक की भयानकता व अमानवीयता को आँकड़ों से नहीं नापा जा सकता। इनमें लाखों बच्चे ऐसे पेशों व उद्योगों में लगे हैं जो जोखिम भरा, खतरनाक व शोषणकारी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बीस देशों में सर्वेक्षण किया जिससे यह पता चलता है कि करीब 70% श्रमजीवी बच्चे गंभीर जोखिमों का सामना करते हैं और उन्हें गंभीर चोट लगती है, वे जल जाते हैं, उन्हें त्वचा की बीमारियाँ हो जाती हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, बधिर हो जाता है।

S. N. Choudhary
Marwari College
L. N. M. U

Scanned with CamScanner